



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन  
वर्ष : 2011-2012

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : [www.rajtaxboard.gov.in](http://www.rajtaxboard.gov.in)

Email : [rajtaxboard@yahoo.co.in](mailto:rajtaxboard@yahoo.co.in)

0145- 2627803 (Phone & Fax)

## वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 – 2012

### प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफरेंस भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 के संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये हैं जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलों/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

### 3.0 गठन :

वर्तमान में कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, राज्य के प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। बोर्ड के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। इस सम्बन्ध में चयन आदि की प्रक्रिया नियम 9 के प्रावधानानुसार है।

3.1 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला/सुपर टाइम स्केल के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.2 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री उमराव सालोदिया	अध्यक्ष	02.06.2011 से निरन्तर .....
2.	श्री ओ. पी. सहारण	सदस्य	08.10.2008 से निरन्तर .....
3.	श्री एच. एल. पाण्डे	सदस्य	31.07.2009 से निरन्तर .....
4.	श्री पी.आर.रतनू	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर .....
5	श्री जे.आर.लोहिया	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर .....
6.	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर .....
7.	श्री एम.एल.विजय	रजिस्ट्रार	08.09.2011 से निरन्तर .....

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	—
2	सदस्य	6	5	1
3	रजिस्ट्रार	1	1	—
4	सहायक लेखाधिकारी	1	1	—
5	निजी सचिव	2	2	—
6	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	—
7	निजी सहायक	1	—	1
8	स्टेनोग्राफर	3	1	2
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	—
11	कार्यालय अधीक्षक	1	—	1
12	कार्यालय सहायक	2	2	—
13	वरिष्ठ लिपिक	8	6	2
14	कनिष्ठ लिपिक	12	11	1
15	वाहन चालक	4	4	—
16	जमादार	1	1	—
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	12	2
18	प्रोसेस सरवर	3	3	—
योग		63	53	10

## 5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2011-2012 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर, 2011 तक (रु.) व्यय
1	संवेतन	260.65	184.90
2	यात्रा भत्ता	3.50	2.79
3	चिकित्सा व्यय	4.00	2.16
4	वाहन संधारण	4.00	3.50
5	कार्यालय व्यय	24.03	14.71
6	पुस्तकालय	1.00	0.64
7	वाहन किराया	4.12	1.72
8	संविदा व्यय	7.44	4.82
9	वाहन कय	0.01	-
10	अंशदायी पेशन योजना	0.15	0.15
11	वर्दी	0.11	-

## 6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 7099 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

## 7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :

वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाद	2009 (दिनांक 31.12.09)	2010 (दिनांक 31.12.10)	2011 (दिनांक 31.12.11)
1.	बकाया प्रकरण	6079	6519	6845
2.	दायर प्रकरण	1875	2670	2989
3.	निस्तारित प्रकरण	1435	2344	2350
4.	शेष प्रकरण	6519	6845	7484

शेष प्रकरणों में वादों के अधिक दायर होने के कारण बढ़ोतरी हुयी है।

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। विक्रय कर के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि पांच लाख से अधिक है, या कर दर संबंधी विवाद हैं, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं स्टाम्प एक्ट एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी. /डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहदपीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2011-12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :-

1.1.2011 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
1687	5158	6845

वर्ष 2011

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					1687	5158	6845
जनवरी	70	157	49	140	1708	5175	6883
फरवरी	69	141	28	134	1749	5182	6931
मार्च	65	167	42	121	1772	5228	7000
अप्रैल	83	125	43	135	1812	5218	7030
मई	103	164	40	148	1875	5234	7109
जून	105	181	30	156	1950	5259	7209
जुलाई	99	164	47	132	2002	5291	7293
अगस्त	89	183	54	136	2037	5338	7375
सितम्बर	113	187	41	194	2109	5331	7440
अक्टूबर	66	154	51	123	2124	5362	7486
नवम्बर	74	219	51	180	2147	5401	7548
दिसम्बर	64	147	62	213	2149	5335	7484

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में चार एस.बी. द्वारा सुनवायी की जा रही है तथा माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा सुनवायी की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु दिनांक 25.07.2011 से दो और सदस्यों की नियुक्ति की गयी है। इसके बाद अजमेर मुख्यालय पर खण्डपीठ द्वारा द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है तथा मुख्यालय पर एक एकलपीठ द्वारा वाणिज्यिक कर/वैट से संबंधित एवं शेष दो एकलपीठों द्वारा स्टाम्प अधिनियम तथा भूमि कर व अन्य संबंधित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है तथा एक एकलपीठ द्वारा पुराने प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनूं, दौसा, एवं चूरु जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

10. राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	पद	मोबाईल	कार्यालय	निवास
1	श्री उमराव सालोदिया	अध्यक्ष	9413330073	0145-2627903 (अजमेर) 0141-2229142 (जयपुर) 0141-2228790 (जयपुर)	0141-2440416
2	श्री ओ.पी.सहारण	सदस्य	9829255664	0145-2627675	0141-2396402
3	श्री एच.एल.पाण्डे	सदस्य	9610099000	0145-2622981	0145-2429740
4	श्री पी.आर.रतनू	सदस्य	9829850512	0145-2627703	-
5	श्री जे.आर.लोहिया	सदस्य	9414047851	0145-2624657	-
6	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	9414026983	0145-2630681	-
7	श्री एम.एल.विजय	रजिस्ट्रार	9314686125	0145-2627803	-

11. सूचना के अधिकार के अंतर्गत :-

: लोक सूचना अधिकारी :

श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार

Website : [www.rajtaxboard.gov.in](http://www.rajtaxboard.gov.in)

Email : [rajtaxboard@yahoo.co.in](mailto:rajtaxboard@yahoo.co.in)

0145- 2627803 (Phone & Fax)

9314686125 (Mo.)

निवास : द्वारा श्री संजीव यादव,

5, अनुपम नगर, भोपों का बाडा, अजमेर

: विभागीय अपीलेट आर्थोरटी :

श्री उमराव सालोदिया, अध्यक्ष

Website : [www.rajtaxboard.gov.in](http://www.rajtaxboard.gov.in)

Email : [rajtaxboard@yahoo.co.in](mailto:rajtaxboard@yahoo.co.in)

0145- 2627903 (Phone)

9413330073 (Mo.)

12.

: मुख्य सर्तकता अधिकारी :

श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार

Website : [www.rajtaxboard.gov.in](http://www.rajtaxboard.gov.in)

Email : [rajtaxboard@yahoo.co.in](mailto:rajtaxboard@yahoo.co.in)

0145- 2627803 (Phone & Fax) 9314686125 (Mo.)

निवास : द्वारा श्री संजीव यादव, 5, अनुपम नगर, भोपों का बाडा, अजमेर